20/09/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादीगण का वाद विड्रो प्रार्थना-पत्र के आधार पर खारिज किया जा चुका है। इस लिए T.I. प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसी लिए प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर। दर्ज रजिस्टर से करा कर। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	नि:- मांगल

उपखण्ड अधिकारी - सांभर लेक